अनुदान संख्या 94 - दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
GRANT No. 94 - DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1224,07,00	1224,08,00	1112,60,41	-111,47,59
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				110,53,95
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		1,20,00	1,18	-1,18,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,18,82

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचत हुईः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2251”	Major Head “2251”				
सचिवालय–सामाजिक सेवाएं	Secretariat-Social Services				
मू.	O.	3625.00	2682.86	2682.86	..
पु.	R.	-942.14			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	111202.00			
पू.	S.	1.00	108671.19	108577.55	-93.64
पु.	R.	-2531.81			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	7580.00	..	..	..
पु.	R.	-7580.00			

(I) ₹7580.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" – "सामाजिक कल्याण – दिव्यांगजनों का कल्याण" के अंतर्गत चार शीर्षो अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षो के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहाः–

(I) Provision of ₹7580.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads under Major Head "2552" - "Social Welfare - Welfare of Handicapped" - under the following heads:-

(का) "सहायक उपकरणों की खरीद / फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता" – ₹3220.00 लाख;

(A) "Assistance to Disabled Persons for Purchase / fitting of Aids and Appliances"- ₹3220.00 lakhs;

(खा) "दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजनाएं" – ₹1450.00 लाख;

(B) "Schemes for Implementation for Persons with Disabilities Act"- ₹1450.00 lakhs;

(गा) "दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना" – ₹1850.00 लाख; और

(C) "Deendayal Divyangjan Rehabilitation Scheme"- ₹1850.00 lakhs; and

(घा) "दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति" – ₹1060.00 लाख।

(D) "Scholarship for Students with Disabilities"- ₹1060.00 lakhs.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग हेतु

Savings under the above four heads were due to re-appropriation of part funds/funds to

आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग" के अंतर्गत ₹942.14 लाख की बचत (₹3625.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम दौरे किए जाने, कम संख्या में चिकित्सा दावों की प्राप्ति, विज्ञापन और प्रचार तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने तथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन किराये का दावा न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2235" – "सामाजिक कल्याण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "दिव्यांगजनों का कल्याण" –

(क) "अन्य योजनाएं" – ₹1456.84 लाख की बचत (₹44959.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और गैर सरकारी संगठनों से कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने, चालू निर्माण परियोजनाओं के विरुद्ध दावों की कम संख्या, विज्ञापन और प्रचार, किए गए दौरे के लिए कम निधियों की आवश्यकता और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण हुई।

(ख) "दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति" – ₹2635.12 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹9614.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Department of Empowerment of Persons with Disabilities" - saving of ₹942.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3625.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, receipt of less number of medical claims, requirement of less funds towards advertisement, publicity and professional services and non-claim of building rent by Central Public Works Department.

(III) Under Major Head "2235" - "Social Welfare" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Welfare of Handicapped" -

(a) "Other Schemes" - saving of ₹1456.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44959.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from State Governments, UT Governments and NGOs, less number of claims against ongoing construction projects, requirement of less funds towards advertisement and publicity, tours undertaken and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Scholarship for Students with Disabilities"- saving of ₹2635.12 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9614.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2024) was due to non-receipt of adequate proposals from Institutes and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(क) "सामाजिक कल्याण – दिव्यांगजनों का कल्याण"– ₹703.67 लाख की बचत (₹10214.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों से छात्रवृत्ति के लिए पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति" – ₹1056.99 लाख की बचत (₹2368.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति" – ₹545.13 लाख की बचत (₹1227.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से छात्रवृत्ति के लिए पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2235" – "सामाजिक कल्याण – दिव्यांगजनों का कल्याण – राष्ट्रीय दृष्टिबाधित, बधिर, मानसिक रूप से मंदित और अस्थि विकलांग संस्थानों का विस्तार और सुधार" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं। ₹3921.36 लाख अधिक व्यय (₹37000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संविदा कर्मचारी के पारिश्रमिक, राष्ट्रीय संस्थानों की परियोजनाओं के निर्माण और सामासिक क्षेत्रीय केन्द्र/राष्ट्रीय संस्थान में चिकित्सीय उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹20.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Social Welfare - Welfare of Handicapped" - saving of ₹703.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10214.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals for scholarships from the State/UT Governments and implementing agencies.

(b) "Scholarship for Students with Disabilities" - saving of ₹1056.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2368.00 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Scholarship for Students with Disabilities" - saving of ₹545.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1227.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of adequate proposals for scholarships from State/UT governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2235" - "Social Welfare - Welfare of Handicapped - Expansion and Improvement of National Institutes for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopedically Handicapped" - excess of ₹3921.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards remuneration of contractual employees, construction of projects of National Institutes and to enhance availability of therapeutic equipment at Composite Regional Centres/National Institutes.

3. In the capital section of the grant, provision of ₹20.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.